

“निर्धनता दैवीय श्राप नहीं अपितु मानवीय सृष्टि है - महात्मा गाँधी”



समूह शक्ति



जयपुर

माह - नवम्बर, 2013

वर्ष - एक

अंक - 7

मासिक समाचार पत्र

महिला किसान सशक्तिकरण परियोजना (MKSP)

‘राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन’ के अन्तर्गत महिला किसानों के सशक्तिकरण तथा आजीविका संवर्द्धन हेतु एक विशेष परियोजना चलाई गई है जिसे ‘महिला किसान सशक्तिकरण परियोजना’ (MKSP) का नाम दिया गया है। परियोजना के अन्तर्गत कृषि कार्यों में लगी हुई ग्रामीण महिलाओं की भागीदारी तथा उत्पादकता बढ़ाते हुए उन्हें सशक्त किए जाने का प्रावधान है, जिसके माध्यम से उनके लिए कृषि आधारित टिकाऊ आजीविका का सृजन तथा उसे लम्बे समय तक जारी रखने हेतु संगठनात्मक ढाँचे का निर्माण किया जायेगा।

MKSP परियोजना के मुख्य तीन आयाम हैं—

1. कृषि तथा संबंधित गतिविधियों के इर्द-गिर्द गरीब महिलाओं की टिकाऊ आजीविका संगठन का निर्माण करना।
2. भौगोलिक पारिस्थिति तथा क्षेत्र विशेष के अनुरूप गरीब महिला कृषकों के लिए सर्वश्रेष्ठ कृषि उत्पादन प्रक्रियाओं का पैकेज तैयार करना।
3. आजीविका संवर्द्धन योजनाओं को प्रदेश के अन्य क्षेत्रों में विस्तार हेतु बड़ी संख्या में महिला सामुदायिक संदर्भ व्यक्ति (CRP) तैयार करना।

MKSP परियोजना का क्रियान्वयन NRLM तथा परियोजना क्रियान्वयन एजेंसी के संयुक्त प्रयास से किया जा रहा है। इस योजना के अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा राजस्थान में अब तक एक वर्ष के लिए परियोजना क्रियान्वयन की स्वीकृति वर्ष 2013 में प्रदान की गई है। परियोजना की कुल लागत 11.24 करोड़ रुपये है, जिसमें 75 प्रतिशत राशि भारत सरकार तथा 25 प्रतिशत राशि परियोजना क्रियान्वयन एजेंसी द्वारा वहन की जा रही है। परियोजना का क्रियान्वयन गैर सरकारी संगठन ‘सेंटर फॉर माइक्रोफाइनेंस’ द्वारा किया जा रहा है, जिसे वे सात NGO पार्टनर की मदद से कर रहे हैं। परियोजना को राजस्थान के सात जिलों धौलपुर, झुंजारपुर, टोंक, अलवर, अजमेर, दौसा, तथा बूंदी के उन्नीस खण्डों में क्रियान्वित किया जा रहा है, जिसके अन्तर्गत 450 गाँव के 25,500 महिला कृषकों को लाभान्वित किये जाने का लक्ष्य है। परियोजना की कुल अवधि तीन वर्ष है। परियोजना के अन्तर्गत महिला कृषकों का

संगठन बनाना, उन्हें कृषि तथा पशुपालन गतिविधियों पर कृषि सखी तथा पशु सखी के माध्यम से प्रशिक्षण देना, कृषि पाठशालाओं का संचालन करना, कृषि तथा पशुपालन की उन्नत गतिविधियों का संचालन करना, उनके कृषि उत्पादों को उत्पादक कम्पनी के माध्यम से उचित मूल्य तथा अन्य सेवाएं उपलब्ध कराना, कृषि में लगने वाले कठिन परिश्रम में उन्नत यंत्रों के माध्यम से कमी लाना, महिला कृषकों की पोषण सुरक्षा आदि गतिविधियों को शामिल किया गया है।



(कृषि सखी प्रशिक्षण के दौरान मृदा परीक्षण)

परियोजना की शुरुआत वर्ष 2013 के खरीफ फसल के साथ की जा चुकी है जिसमें 6,337 महिला कृषकों को शामिल करते हुए चार प्रमुख खरीफ फसलों— बाजरा, मक्का, तथा काला चना के उत्पादन वृद्धि के लिए कार्य किया गया है। महिला कृषकों के संगठन निर्माण तथा कृषि गतिविधियों को निर्धारित मानदण्ड के अनुरूप करने के लिए 348 कृषि सखियों का चयन कर उन्हें उचित प्रशिक्षण दिया गया है। इन कृषि सखियों को सहायता करने के लिए परियोजना की ओर से सात कृषि विशेषज्ञ तथा ब्लॉक स्तर पर 20 कृषि सहायक को तैनात किया गया है। आने वाले रबी फसल के लिए बड़ी संख्या में महिला कृषकों को शामिल किया जाना है।

मनोज कुमार गुप्ता

वरिष्ठ विशेषज्ञ (आजीविका), एस.पी.एम.यू., जयपुर।

सफलता की कहानियाँ – उदयपुर



उत्थान संस्थान बना महिला बैंक

उदयपुर – झाड़ोल से 16 कि० मी० की दूरी पर स्थित है ग्राम तलाई। इस ग्राम में 12 स्वयं सहायता समूहों को संगठित कर श्रीनाथ उत्थान संस्थान का गठन किया गया है। इस ग्राम में जहाँ समूह का निर्माण व संचालन ही कई जगह मुश्किल था, उत्थान संस्थान की कल्पना ही असंभव थी। परन्तु कहते हैं ना कि जहाँ चाह, वहाँ राह। ऐसा ही कुछ इस गाँव की महिलाओं के साथ हुआ। जनवरी 2012 में राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद द्वारा उदयपुर जिले में राजस्थान ग्रामीण आजीविका परियोजना का क्रियान्वयन प्रारंभ किया गया। परियोजना के क्रियान्वयन क्षेत्र में दुर्गम जनजाति विकासखण्ड झाड़ोल को सम्मिलित किया गया। परियोजना के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए स्वयं सहायता समूहों का निर्माण प्रारंभ किया गया। पंच सूत्रों के आधार पर नियमित बैठक, नियमित बचत, नियमित लेनदेन आदि के साथ समूहों का संचालन शुरू हुआ।

10 माह पुराने इन समूहों में आज करीब रु. 10 लाख की राशि जमा है। उचित व सामयिक लेनदेन होने से संस्थान का संचालन भी सुचारु रूप से हो रहा है। इन निर्धन जनजाति की महिलाओं ने कभी सोचा भी न था कि अपने आत्मबल व आपसी सहयोग से ये स्वयं को आर्थिक रूप से सुदृढ़ कर पाने में सक्षम हो पायेंगी। परन्तु राजस्थान ग्रामीण आजीविका परियोजना के माध्यम से यह संभव हो पाया है।

समूह व संस्थान के प्रति महिलाओं की ललक इसी से परिलक्षित होती है कि महिलाएँ ट्यूब की नाव पर बैठ कर नदी पार करके संस्थान की बैठक में आती हैं। इस सफर को आसान करने के लिए अम्बा माता स्वयं सहायता समूह ने उत्थान संस्थान से ऋण ले कर नाव क्रय की है, जो शीघ्र ही संचालित की जायेगी। इस नाव से जहाँ एक ओर समूह को आर्थिक फायदा होगा वहीं दूसरी ओर गाँव के अन्य रहवासी भी सुरक्षित व सुगम तरीके से नदी पार कर सकेंगे। वर्तमान में ग्रामवासियों द्वारा नदी पार करने के लिये दो ट्यूब पर चटाई रखकर परिवहन किया जाता है।



स्वयं की दुकान की मालकिन बनी चन्द्री बाई

ये है श्रीमती चन्द्री बाई ! सुखदेवी, स्वयं सहायता समूह की सदस्या। समूह की शक्ति को पहचान स्वावलंबी बनने व परिवार को आर्थिक सहयोग देने के उद्देश्य से समूह से जुड़ी। छोटी छोटी बचत से समूह में रुपये जोड़ कर आज श्रीमती चन्द्री बाई एक छोटी सी किराना दुकान की मालकिन बन गई हैं। यह समूह पूर्ण रूप से अनुसूचित जाति की महिलाओं का है। सभी महिलाएँ समान आय व वर्ग की हैं। पेशे से मजदूर ये महिलाएँ पीएफटी प्रबंधक श्री मुरारीलाल टेलर के संपर्क में आई एवं राजस्थान ग्रामीण आजीविका परियोजना का हिस्सा बनीं।

गाँव में स्वयं सहायता समूह की अवधारणा तब साकार हुई जब इन महिलाओं ने समूह की अवधारणा के अनुरूप स्थायी जीविकोपार्जन के साधन स्थापित करने की ठानी। जनजाति बाहुल्य झाड़ोल विकासखण्ड जहाँ महिलाओं में साक्षरता लगभग नगण्य है, इन महिलाओं ने स्वयं सहायता समूह को आजीविका का साधन बनाया।

समूह से जुड़ने से पहले मनरेगा व छुट्टी मजदूरी कर 800-1000 रु० प्रति माह कमाने वाली चन्द्री बाई वक्त ज़रूरत 5-10 प्रतिशत ब्याज दर पर उधार लेती रही हैं। लेकिन अब समूह से जुड़ने के बाद बाजार से ब्याज का पैसा लेना बंद कर दिया है।

किराने की दुकान से श्रीमती चन्द्री बाई के परिवार को मासिक रु० 3000-4000/- तक की कमाई हो जाती है। यही परिवार के जीविकोपार्जन का साधन है। इन्हीं की तरह अन्य सदस्य महिलाएँ भी समूह से ऋण ले कर स्वयं के परिवार के लिए जीविकोपार्जन के साधन जुटाने के लिए प्रयासरत् हैं।

आर.के.अग्रवाल

जिला परियोजना प्रबंधक, "राजीविका", उदयपुर।

डूंगरपुर जिले में 8 जिलो का इमरशन विजिट

डूंगरपुर – जिले में संचालित हो रहे स्वयं सहायता समूहों एवं उत्थान संस्थान की कार्य प्रणाली के इमरशन विजिट के लिये दिनांक 21 से 26 अक्टूबर, 2013 बांसवाडा, बूंदी, बारां एवं टोंक जिले से कुल 8 प्रबन्धको एवं पी.एफ.टी. सदस्यों एवं दिनांक 11 से 16 नवम्बर, 2013 को दौसा, जोधपुर, सर्वाई माधोपुर, कोटा एवं बांसवाडा जिले से कुल 10 प्रबन्धको एवं पी.एफ.टी. सदस्यों का जिले में इमरशन कार्यक्रम संपादित कराया गया। 6 दिन के इस कार्यक्रम के अन्तर्गत दिनांकवार कार्यक्रम बनाया गया जिसमें दोनों दलों को प्रथम दिन एक आमुखीकरण कार्यशाला का आयोजन किया गया।

अन्य चार दिनों में जिले के संचालित हो रहे रिसोर्स ब्लॉक में माण्डवा, कोलखण्डा, पांतली, डोजा, आदि गाँवों में गठित किये गये स्वयं सहायता समूहों एवं इन्टेन्सिव ब्लॉक में राम महिला स्वयं सहायता समूह विकास महिला स्वयं सहायता समूह, रोहिला फला का इमरशन विजिट कराया गया। इसी क्रम में जय सीताराम उत्थान संस्थान (CDO) जसैला एवं झांसी रानी उत्थान संस्थान (CDO) का इमरशन विजिट संपादित हुआ। तत्पश्चात् महिला मण्डल समिति (फेडरेशन) एवं महिला मण्डल समिति, माण्डली (फेडरेशन) का इमरशन विजिट कराया गया। समूह के इमरशन विजिट में बचत जमा कराने का एक अनोखा तरीका देखा जिसमें सभी लोग अपनी बचत को अपनी पास बुक में रख कर एक दूसरे के माध्यम से अध्यक्ष तक अपनी बचत पहुँचाते हैं।

जब संभागियो ने सदस्यों से साप्ताहिक/मासिक बैठक पर बात की तो सदस्यों ने बताया कि हम साप्ताहिक बैठक ही चाहते हैं। हम बैंक प्रणाली, सामाजिक मुद्दों एवं सरकार की योजनाओं पर बात करते हैं। समूहों के रिकार्ड संधारण को सबसे ज्यादा पसंद किया, जिसमें साफ-सुथरा इन्द्राज किया गया है। बुक कीपर बड़ी ईमानदारी एवं निष्ठा से कार्य कर रहे हैं। संभागियो के समस्त फील्ड अवलोकन के पश्चात् अन्तिम दिन में डी ब्रीफिंग कार्यशाला का आयोजन किया गया। संभागियो ने समूहों का उत्थान संस्थान के रिकार्ड संधारण को पसन्द किया साथ ही उत्थान संस्थाओं पर होने वाली सभी समूहों की समीक्षा एवं ग्रेडिंग प्रणाली को महत्वपूर्ण माना। अन्त में दोनों दलों के संभागियो से इमरशन कार्यक्रम के दौरान प्राप्त अच्छे अनुभवों समस्याओं और सुझाव पर लिखित में फीडबैक पत्र भी प्राप्त किये गये।

ओमप्रकाश जोशी

जिला परियोजना प्रबंधक, "राजीविका", डूंगरपुर।

संदर्भ व्यक्ति की कार्यशाला आयोजित

झालावाड़ – राजीविका परियोजना के तहत गठित एवं को-ऑप्ट किये गये स्वयं सहायता समूहों की गुणवत्ता बनाये रखने हेतु तथा उनकी कार्यक्षमता में सुधार हेतु विभिन्न प्रकार के प्रशिक्षणों का अपना एक अलग ही महत्व है। प्रशिक्षणों में आयोजन हेतु राज्य स्तर से प्राप्त निर्देशानुसार जिले में अनुभवी एवं कार्यशील व्यक्ति जो भी स्वयं सहायता समूह के निर्माण एवं प्रशिक्षण इत्यादि में अनुभवी है, का चयन कर जिला स्तर पर 1 पैल तैयार किया जाना है। इसी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए दिनांक 30.10.13 को कार्यशाला आयोजित की गई जिसमें विभिन्न गैर-सरकारी संगठनों एक अनुभवी व्यक्ति विशेष सहित 50 महिला एवं पुस्तक प्रतिभागियों ने भाग लिया। कार्यशाला में अतिथि के रूप में श्री बी. एस. राठौड़ जिला अग्रणी प्रबंधक, श्री अनिल उप महाप्रबंधक नाबार्ड तथा आर. सेटी के निदेशक श्री सी.एस. छीपा उपस्थित थे।

कार्यक्रम में प्रारम्भ में श्री सी. के. शर्मा, जिला परियोजना प्रबंधक राजीविका द्वारा परियोजना की जानकारी देते हुए बताया कि राजीविका परियोजना के तहत गठित स्वयं सहायता समूह में प्रशिक्षण का एक अपना महत्व है तथा प्रशिक्षण सतत् एवं अनवरत् प्रक्रिया है, योजना के सफल क्रियान्वयन में प्रशिक्षण की महती भूमिका को ध्यान में रखते हुए प्रशिक्षण प्रदान करने वाले मास्टर ट्रेनर की भी एक अपनी एक भूमिका होती है ताकि परियोजना में विभिन्न संदेश लाभार्थी तक पहुंच सके तथा परियोजना का पूर्ण लाभ मिल सके।

अतिथि के रूप में उपस्थित श्री बी.एस. राठौड़ जिला अग्रणी प्रबंधक ने स्वयं सहायता समूहों को बैंक लिंकेज के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि समूह गठन के उपरान्त समूहों का बैंक बचत खाता खुलवाते समय आवश्यक बातों की ओर ध्यान दिलाते हुए जानकारी दी कि बैंक खाते खुलवाने हेतु पदाधिकारियों का साक्षर होना आवश्यक है। साथ ही बैंक के निर्देशानुसार KYC आवश्यक दस्तावेज साथ लगाने आवश्यक है तथा सम्पूर्ण प्रक्रिया पूर्ण करने के उपरांत बैंक प्रबंधक से समय लेकर ही समूह के पदाधिकारियों को बैंक में लाया जाये ताकि किसी भी आकस्मिक परिस्थिति की वजह से समूह के पदाधिकारियों को अनावश्यक रूप से परेशानी न हो। अन्त में सभी प्रतिभागियों से उनके रिसोर्स पर्सन के रूप में कार्य करने हेतु क्षेत्र की जानकारी लेकर कार्यशाला का समापन किया गया।

चन्द्रकांत शर्मा

जिला परियोजना प्रबंधक, "राजीविका", झालावाड़।

जोधपुर जिले में आयोजित डी-ब्रीफिंग कार्यशाला

जोधपुर – राजस्थान के पश्चिमी जिले जोधपुर में दिनांक 10.10.2013 को राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका परियोजना के अन्तर्गत जीविका, बिहार के सी.आर.पी. दल के द्वितीय चरण की समाप्ति पर आयोजित डी-ब्रीफिंग कार्यशाला में परियोजनान्तर्गत रिसोर्स ब्लॉक बालेसर के चार कलस्टर आगोलाई, बालेसर सत्ता, चामू व सेखाला के सभी सी.आर.पी. दल, 10 सक्रिय कार्यकर्ता तथा पी.एफ.टी. ने भाग लिया। प्रत्येक सीआपी दल ने पीएफटी के साथ मिलकर अपने कार्यक्षेत्र में चार्टों की सहायता से किये गये कार्यों की प्रगति एवं कठिनाइयों पर प्रकाश डाला। साथ ही प्रश्नोत्तर के माध्यम से हाउस होल्ड सर्वे, विलेज मैपिंग एवं समूह निर्माण की प्रक्रिया को समझाया। सक्रिय महिला कार्यकर्ताओं ने अपने क्षेत्र में सी.आर.पी. दल द्वारा गांव में प्रवेश करने पर की जाने वाली चर्चा, समूह गठन हेतु गरीब महिलाओं को एकत्रित करने में आने वाली समस्याओं व इनमें स्वयं की भागीदारी निभाने पर रोचक प्रस्तुतिकरण दिया।



श्री गणपत लाल सुथार, जिला परियोजना प्रबंधक द्वारा एन. आर.एल.एम. परियोजना के बारे में कार्यशाला में उपस्थित प्रतिभागियों को विस्तृत जानकारी दी तथा कार्यशाला में विभिन्न बक्ताओं द्वारा यह सुझाया कि आने वाले सी.आर.पी. चरणों में जिला स्तर पर डी-ब्रीफिंग कार्यशाला से पूर्व संबंधित संकुलो में भी सी.आर.पी. दल वार छोटी कार्यशाला की जानी चाहिए, जिससे संबंधित संकुल के नव सृजित स्वयं सहायता समूहों की महिलाएँ तथा जनप्रतिनिधि बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले सकें जिससे वे परियोजना की मूल भावना को आत्मसात् कर सकें जिससे परियोजना की मूल भावना को बल मिलेगा तथा महिलाओं की भागीदारी उत्साहवर्द्धक हो सकेगी।

गणपत लाल सुथार (आर.डी.एस.)
जिला परियोजना प्रबंधक, "राजीविका", जोधपुर।

चित्तौड़गढ़ जिले में परियोजना प्रगति

चित्तौड़गढ़ – राजस्थान राज्य में चित्तौड़गढ़ जिले में बेगू खण्ड को एन. आर. एल. पी. (NRLP) के तहत रिसोर्स ब्लॉक घोषित किया हुआ है। जहाँ पर BRLPS का प्रथम एवं द्वितीय सी.आर.पी. राउण्ड पूर्ण हो चुका है। जिसके तहत बेगू ब्लॉक में अब तक 18 ग्राम पंचायतों के 57 गाँवों में 246 महिला स्वयं सहायता समूहों का गठन किया गया है। जिसमें 238 समूह नये गठित किये गये हैं एवं 8 निष्क्रिय समूहों को सक्रिय कर को-ऑप्ट किया गया है। इन 246 महिला स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से 2759 गरीब परिवारों को परियोजना के दायरे में लाने का प्रयास किया गया है। स्वयं सहायता समूहों को सुदृढ़ बनाने हेतु एवं स्थानीय स्तर पर संस्थागत ढाँचा प्रदान करने हेतु स्वयं सहायता समूहों को संगठित कर नियमानुसार 8 ग्राम उत्थान संस्थानों का गठन किया गया है। जिनके माध्यम से 55 महिला स्वयं सहायता समूहों को 8,25,000/- रुपये की प्रथम किस्त परियोजना से सहायता राशि के रूप में Tranche -1 प्रदान की गई है। जिसके माध्यम से समूह अपना लेन देन कर चक्रीय कोष चलाने की प्रक्रिया को समझ रहे हैं।

परियोजना के माध्यम से एवं BRLPS की सी.आर.पी. महिला साथियों के सहयोग से ग्राम स्तरीय महिला स्वयं सहायता समूहों की क्षमता वर्धन करने हेतु प्रयास किये जा रहे हैं। इसी क्रम में अब तक 204 स्वयं सहायता समूहों को समूह अवधारणा पर प्रशिक्षण दिया जा चुका है।

वर्तमान में 246 स्वयं सहायता समूहों के पास में स्वयं की छोटी छोटी नियमित साप्ताहिक बचत के परिणामस्वरूप 5,85,620/- रुपये की बचत हो गई है। समूह द्वारा आपस में लेन देन भी किया जा रहा है इस क्रम समूह के सदस्यों के मध्य अब तक 4,24,900/- रुपये का आपसी लेन देन किया गया है।

बालकिशन चावला
जिला परियोजना प्रबंधक, "राजीविका", चित्तौड़गढ़।

स्वताधिकारी राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद् के लिए प्रकाशक स्टेट मिशन डायरेक्टर, राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद् "राजीविका" जयपुर द्वारा प्रकाशित।

प्रकाशक- सुबीर कुमार (आई.ए.एस.), स्टेट मिशन डायरेक्टर (राजीविका)।

सम्पादक- डॉ. रश्मि शर्मा

सह सम्पादक- विजय शर्मा

संकलन- अंजु बर्क

पता - तृतीय तल, आरएफसी ब्लॉक, उद्योग भवन, तिलक मार्ग, जयपुर (राज.)।

दूरभाष - 0141-2227011, 2227416, फ़ैक्स- 2227723,

website: www.rgavp.org